न्यायालय विशेष न्यायाधीश(अनु0जा0/अनु0जन0(अ0नि0) अधिनियम), पीलीभीत।
पीठासीनः श्री राकेश वशिष्ठ, एच.जे.एस.
परिवाद संख्या 61/2021
सी.एन.आर. नं. यूपीपीबी0 100–2141–2021
श्रीमती सुमन देवी बनाम आदित्य कुमार आदि

04.12.2021

पत्रावली आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी पर पूर्व में सुना जा चुका है।

परिवादी द्वारा अपने परिवादपत्र में कथन किया है कि परिवादिनी अनुसूचित जाति खटिक की महिला है तथा विपक्षीगण सामान्य जाति के हैं। विपक्षीगण परिवादिनी के घर के सामने चल रहे रास्ते को रोकते हैं तथा रास्ता रोकने से मना करने पर जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हैं तथा उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ करते हैं। दिनांक 31.5.21 को 7.30 बजे परिवादिनी की पुत्री दरवाजे के बाहर चबूतरे पर झाड़ू लगा रही थी कि अचानक विपक्षी संख्या 1 आदित्य कुमार व विपक्षी सं0 2 अरून कुमार ने उसकी पुत्री को बुरी नियत से पकड़ लिया और नोच खसोट करते हुये उसके गुप्तांगों पर हाथ चलाये तभी परिवादिनी की पुत्री चिल्लाई तो परिवादिनी ने आकर अपनी पुत्री को छुड़ाया तथा विपक्षी संख्या 1 आदित्य कुमार व विपक्षी सं0 2 अरून कुमार को डांटा तो उक्त लोगों ने विपक्षी संख्या 3 व 4 को लाकर सभी विपक्षीगण ने एक राय होकर परिवादिनी को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुये जमीन पर गिरा दिया व लात घूंसों से मारा पीटा। जब परिवादिनी की पुत्री ने बचाने का प्रयास किया तो उसे भी मारा पीटा। सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्दों व मां बहन की गालियां देते हुये अपमानित किया।

परिवादिनी ने स्वयं का बयान धारा 200 दं0प्र0सं0 एवं साक्षीगण पी0डब्लू0 1 कु0 गुलशन देवी व पी0डब्लू0 2 भगवानदास का बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 में कराया है।

परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि परिवादिनी अनुसूचित जाति की महिला है जबकि विपक्षीगण अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं। विपक्षीगण ने एक राय होकर वादिनी मुकदमा व उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ की व मारपीट किया, गाली गलौज किया व जान से मारने की धमकी दी तथा जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। विपक्षीगण ने संज्ञेय प्रकृति का अपराध कारित किया है जिस कारण विपक्षीगण को जरिये सम्मन सुसंगत धाराओं में तलब कर लिया जावे।

परिवादिनी सुमन देवी ने अपने बयान धारा 200 दं0प्र0सं0 में कथन किया है कि यह घटना दिनांक 31.5.21 को शाम के 7.30 बजे की है। उसकी बेटी गुलशन दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी। अरून वहां से निकले ओर उसकी बेटी को पकड़ लिया और गलत तरीके से हाथ चलाया। उसकी बेटी ने शोर मचाया तो वह बाहर आ गयी तो उसे भी गिरा दिया। उसके व उसकी लड़की के कपड़े भी फाड़ दिये। शोर पर प्रभात, नवनीत आदि लोग आ गये। इनने हमें गाली गलौज किया, चटकनिया कहा। यह सब झगड़ा उसके घर के दरवाजे पर हुआ ाि। यह लोग हमारे पड़ोसी है। यह बात सही है कि उसका विपक्षीगण से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है। गांव के काफी लोग मौके पर आ गये थे।

पी0डब्लू0 1 कु0 गुलशन देवी ने अपने बयान अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 में कथन किया है कि मुलजिमान आदित्य कुमार, अरूण कुमार व प्रभात कुमार उसके गांव के निवासी हैं जो सामान्य जाति के हैं। नवनीत कुमार पाण्डेय उक्त मुलजिमानों के रिश्तेदार हैं। उक्त मुलजिमान उसकी मां सुमन देवी व परिवार वालों को सार्वजनिक रास्ते पर आने जाने से रोकते हैं। दिनांक 31.5.21 को समय करीब साढ़े सात बजे शाम वह अपने दरवाजे के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी आदित्य कुमार व अरूण कुमार ने उसे बुरी तरह से पकड़ लिया और उसके साथ नोंच खसोंट की तथा उसके गुप्तांगों पर भी हाथ चलायाग वह चिल्लाई तभी उसकी मां उसे बचाने घर के बाहर आयी और उसे उक्त मुलजिमानों से बचाया व मुलजिमानों को डांटा था तो उक्त दोनों मलजिमानों ने नवनीत व प्रभात कुमार को बुला लिया। उसे व उसकी मां को जातिसूचक शब्द साली खटकनिया कहकर अपमानित किया व मारा पीटा व उसकी मां के बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिया तथा लात घूंसों से मारा पीटा व गंदी–गंदी गालियां दीं व खटिक खटकिया कहकर जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये।

पी0डब्लू0 2 भगवानदास ने अपने बयान अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 में कथन किया है कि मुलजिमान आदित्य कुमार, अरूण कुमार, प्रभात कुमार जो उसके गांव के हैं आये दिन उसकी पत्नी सुमन देवी व पुत्री गुलशन को जातिसूचक शब्दों खटिक व खटकनिया कहकर अपमानित करते रहते

हैं। सार्वजनिक स्थानों व रास्तों पर आने जाने से रोकते हैं। समय करीब साढ़े सात बजे सांय उसकी पुत्री गुलशन दरवाजे के बाहर चबूतरे पर झाड़ू लगा रही थी। तभी अचानक आदित्य कुमार, अरूण कुमार ने उसकी पुत्री को बुरी नियत से पकड़ लिया व उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुये नोचा खसोंटा था व उसके गुप्तांगों से छेड़खानी की थी। पुत्री की आवाज पर उसकी पत्नी सुमन देवी बचाने गयी तो उक्त लोगों ने उसकी पत्नी व पुत्री को मारा पीटा व उक्त लोगों ने नवनीत व प्रभात कुमार को भी बुला लिया था। सबने एक राय होकर उसकी पुत्री व पत्नी को जातिसूचक शब्द खटिक व खटकनियां कहकर अपमानित किया व लात घूंसों से मारा पीटा व गंदी–गंदी गालियां दीं व जाते समय मुलजिमानों ने जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर वह मौके पर पहुंच गया था और उसने मुलजिमानों से अपनी पत्नी व पुत्री को बचाया था।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सामग्री से स्पष्ट होता है कि परिवादिनी अनुसूचित जाति की सदस्या है, जबकि विपक्षीगण अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य नहीं है। परिवादिनी सुमन देवी ने अपने बयान धारा 200 दं0प्र0सं0 में घटना का पूर्ण समर्थन करते हुये विपक्षी अरून कुमार द्वारा उसकी पुत्री को गलत नियत से पकड़ना व उसके साथ छेड़छाड़ करना कहा है जबकि पी0डब्लू0 1 परिवादिनी की पुत्री गुलशन देवी जिसके साथ घटना घटित होना बताया गया है तथा घटना की मुख्य साक्षी है ने विपक्षीगण आदित्य कुमार व अरूण कुमार द्वारा उसको घर के बाहर चबूतरे पर गलत नियत से पकड़ना व उसके साथ छेड़छाड़ करना व उसके गुप्तांगों पर हाथ चलाना बताया है तथा पी0डब्लू0 2 भगवानदास ने भी विपक्षीगण आदित्य कुमार व अरूण कुमार द्वारा उसकी पुत्री को गलत नियत से पकड़ना व छेड़छाड़ करना व उसके गुप्तांगों पर हाथ चलाना बताया है तथा परिवादिनी व उसके साक्षीगण ने सभी विपक्षीगण द्वारा एक राय होकर परिवादिनी व उसकी पुत्री को मारपीट करना व गाली गलौज करना व जान से मारने की धमकी देना व जातिसूचक शब्द खटिक खटकनिया कहकर सार्वजनिक स्थान पर गाली गलौज करना व जातिसूचक शब्दो से अपमानित करना बताया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से विपक्षीगण आदित्य कुमार व अरूण कुमार के विरूद्ध धारा 354क, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) एवं धारा 3(2)(5ए) अनु0जा0अनु0जन0(अ0नि0) अधिनियम एवं विपक्षीगण प्रभात कुमार व नवनीत कुमार पाण्डेय के विरूद्ध धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) एवं धारा 3(2)(5ए) अनु0जा0अनु0जन0(अ0नि0) अधिनियम का प्रथम दृष्ट्या अपराध बनना परिलक्षित होता है। इसलिए विपक्षीगण को उपरोक्त धाराओं में विचारण हेतु जरिये सम्मन तलब किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

अभियुक्तगण आदित्य कुमार व अरूण कुमार को धारा 354क, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) एवं धारा 3(2)(5ए) अनु0जा0अनु0जन0(अ0नि0) अधिनियम एवं अभियुक्तगण प्रभात कुमार व नवनीत कुमार पाण्डेय को धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) एवं धारा 3(2)(5ए) अनु0जा0अनु0जन0(अ0नि0) अधिनियम में विचारण हेतु जरिये सम्मन दिनांक 05.1.2022 के लिए आहूत किया जाता है। परिवादिनी आवश्यक पैरवी अन्दर 7 दिन करे।

पत्रावली वास्ते हाजिरी मुलजिमान दिनांक 05.1.2022 को पेश हो।

दिनांकः 04.12.2021
अशोक कुमार

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)
पीलीभीत।